I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2345

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

1. महिला भागवती पत्नि जगप्रसाद यादव
2. अजय पुत्र जगप्रसाद यादव निवासी भगतनगर कालौनी टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. स्वामी प्रसाद तनय रामदास यादव नि. भदौरा तह. व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
2. म.प्र. शासन

... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत अतिरिक्त तहसील बड़ागांवधसान के रा०नि० बड़ागांवधसान के प्र०क्र०66अ-12/16-17 मे पारितआदेश दिनांक 17/6/2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं.1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर निम्न है:

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रति पुनरीक्षणकर्ता के मध्य तहसीलटीकमग के रा०नि०वृत बड़ागांवधसान के ग्राम पुरा गोपालपुरा की भूमि ख.न.219लगायत लगायत 257कुल किता 39 रकबा 6.126हे. भूमि धारित थी जिसमे राजकुमार ने अपना हिस्सा 1/4 रकबा 1.531हे० पृथक करा लिया था शेष भूमि 4.595हे. शेष रह गई थी उक्त भूमि का बटवारा सर्वप्रथम प्र०क्र०37/अ27/12-13 दिनांक18/5/15 को स्वीकृत हुआ था जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है इसके मुताबिक पुनरीक्षण कर्ता ने ख.न. 233 मे दिए गए रकबा 0.210हे० मे टयूब बैल उत्खनन करा कर कृषि कृषि कार्य आरंभ कर दिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के द्वारा अपील क्र.133/2014-15 दिनांक 20/4/2016 के द्वारा निरस्त कर दिया था ।

2. यह कि पुनः प्रकरण बटवारे के लिए तहसीलदार बड़ागांवके यहां आया और उन्होने प्रतिपुनरीक्षणकर्ताको ख.न. 231,232/1,233,234,235,236, 239,कुल किता 7 रकबा 1.503हे० भूमि दे दी जिसमे पुनरीक्षणकर्ता के टयूबबैल आ गए और पुनरीक्षणकर्ता को ख.न. 229/2 ,230/2,232/2,237,238,240,लगायत 257,कुल किता 23 रकबा 2.892हे. भूमि का बंटवारा एकांगी रूप से स्वीकार कर दिया जो दिनांक 18/10/2016को स्वीकृत हुआ जिसकी प्रति संलग्न की जा रही हैयह एकांगी आदेश था उसके विरूद्ध जानकारी दिनांक से अपील पृथक से अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को प्रस्तुत कीजा चुकी है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ -2-

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / टीकमगढ / भू–रा. / 2017 / 2345

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
4.8.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर उनके द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार वड़ागांवधसान तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 66 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.6.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य तहसील टीकमगढ़ के राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़ागावंधसान के ग्राम गोपालपुरा की भूमि खसरा न0 219 लगायत 257 कुल किता 39 रकवा 6.126 है0 भूमि धारित थी जिसमें राजकुमार ने अपना हिस्सा 1/4 रकवा 1.531 है0 प्रथक करा लिया था शेष भूमि 4.595 है0 शेष रह गई थी उक्त भूमि का बंटवारा सर्वप्रथम प्रकरण कमांक 37 / अ–27 / 2012–13 में दिनांक 18.5.15 को स्वीकृत हुआ था। उसके मुताबिक पुनरीक्षणकर्ता ने खसरा न0 233 में दिये गये रकवा 0.210 है0 में टयूब बैल उत्खनन कराकर कृषि कार्य आरंभ कर दिया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के द्वारा अपील कमांक 133 / 2014–15 दिनांक 20.4.16 के द्वारा निरस्त कर दिया था। उनके द्वारा तर्क किया गया है कि	

प्रकरण बंटवारे के लिये तहसीलदार बडागांवधसान के यहां आया और उन्होंने प्रति पुनरीक्षणकर्ताओं को खसरा न0 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 239 कुल किता 7 रकवा 1.503 है0 भूमि दे दी जिसमें पुनरीक्षणकर्ताओं के टयूब बैल आ गये और पुनरीक्षकर्ताओं को खसरा न0 229/2, 230/2, 237, 238, 240 लगायत 257 कुल किता 23 रकवा 2.892 है0 भूमि का बंटवारा एकांगी रूप से स्वीकार कर दिया जो दिनांक 18.10.16 को स्वीकृत हुआ। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि यह एकांगी आदेश था उसके विरूद्व जानकारी दिनांक से अपील प्रथक से अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को प्रस्तुत की जा चुकी है। अनावेदक ने अवैध बंटवारे के आधार पर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जो प्रकरण कमांक 66/अ–12/2016–17 दिनांक 17.6.17 को स्वीकृत हुआ है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 17.6.17 का आदेश निरस्त किया जावे।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि संयुक्त सीमांकन दल के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थल पर सर्वे सिद्वातों के अनुसार एवं सीमांकन के बनें नियम धारा 129 का पालन नहीं किया गया। आवेदित भूमि ख0 न0 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 239 का सीमांकन अनावेदक एवं सरहदी कृषकों एवं पंचो की उपस्थिति में किये जाने का उल्लेख अपने आदेश में अति0 तहसीलदार बडागांवधसान तहसील व जिला टीकमगढ़ ने किया है। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है

लेकिन अतिरिक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख भी किया जा रहा है कि आवेदिका द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इस्तावेजों के अवलोकन से भी यह बात स्पष्ट हो रही है कि सीमांकन हेतु कोई भी सूचना पत्र जारी नहीं किया गया। सीमांकन पंचनामा में भी यह कहा गया है कि आवेदिका उपस्थित रही पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदिका के समक्ष सीमांकन किया गया है। अतः अतिरिक्त तहसीलदार वड़ागांवधसान तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 66/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.6.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

सदस्य